

आदेश

उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मी बाई महिला सम्मान कोष के अन्तर्गत गठित जिला संचालन समिति, बाराबंकी द्वारा काइम संख्या 158/15, दिनांक 8 जुलाई, 2015 के अन्तर्गत आई0पी0सी0 की धारा 4 पाक्सो के अन्तर्गत सुश्री दीपा उर्फ राज लक्ष्मी, पुत्री श्री शिव बरन वर्मा, आयु 13 वर्ष निवासी ग्राम मुजफ्फरपुर मजरे नेवला करसन्डा मसौली, जनपद बाराबंकी को मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ बेंच में दायर याचिका संख्या 8210(एम0बी0)/2015 के आदेश दिनांक 03.11.2015 के अनुक्रम में पीड़िता सुश्री दीपा उर्फ राज लक्ष्मी को रू0 10,00,000/- (रू0 दस लाख मात्र) की अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान किया जाना है।

उक्त के दृष्टिगत मुख्य सचिव/अध्यक्ष, राज्य अनुश्रवण समिति द्वारा आर्थिक सहायता की धनराशि रू0 10,00,000/- (रूपये दस लाख मात्र) भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

इस निमित्त होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण -02-समाज कल्याण-आयोजनागत-103 महिला कल्याण-10-उत्तर प्रदेश महिला सम्मान कोष-42 अन्य के अन्तर्गत किया जायेगा।

Q. My
(राम केवल) 01.12.15

निदेशक/विहित प्राधिकारी
उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष।

उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष, योजना भवन, उ0प्र0 शासन।

पत्रांक 661-668 / एफ0एम0यू0 / महिला सम्मान कोष / 2015-16 लखनऊ: दिनांक : 01 दिसम्बर, 2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. आहरण एवं वितरण अधिकारी, एफ0एम0यू0।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला संचालन समिति, उ0प्र0 राज्य महिला सशक्तिकरण मिशन, बाराबंकी।
5. सचिव, उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ।
6. सचिव, जनपद विधिक सेवा प्राधिकरण, बाराबंकी।
7. जिला परिवीक्षा अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला संचालन समिति, उ0प्र0 राज्य महिला सशक्तिकरण मिशन, बाराबंकी।

(राम केवल)

निदेशक/विहित प्राधिकारी
उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष।